न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्र.पत्र/ 100/2022

भारतीय स्टेट बैंक कुम्हेर गेट भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1—श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूरी सिंह, पता— गोलपुरा रोड़ वार्ड न03, अशोक बिहार भरतपुर राज0 321001

......अप्रार्थी ऋणी

2—गारन्टर श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र भूरी सिंह, पता— गोलपुरा रोड़ वार्ड न03, अशोक बिहार भरतपुर राज0 321001

.......अप्रार्थी गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश दिनांक 28—6—2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 02.03.2019 को 1430000/— की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड न0 22 जो कि जितेन्द्र सिंह पुत्र भूरी सिंह के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 90.52 वर्ग यार्ड जिसकी चतुर्थ सीमाऐं उत्तर में— 25.8 फुट इस तरफ श्री विलास चंद का मकान, दक्षिण में 25.8 फुट इस तरफ श्री डालचंद का मकान, पूर्व में 32.6 फुट इस तरफ 3 फुट गली, पश्चिम में 31फुट इस तरफ श्रीचंद का मकान, वार्ड न 22 सूरज पॉल गेट, कोली मोहल्ला गोपालगढ़ भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 02—03—2021 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 19—7—2021 तक 1560149/— रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है।

.........2

प्रा.पत्र/ 100/2022

(2) भारतीय स्टेट बैंक बनाम जितेन्द्र सिंह

प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 19–7–2021 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 19–7–2021 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय मकान वार्ड न0 22 जो कि जितेन्द्र सिंह पुत्र भूरी सिंह के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 90.52 वर्ग यार्ड जिसकी चतुर्थ सीमाएँ उत्तर में– 25.8 फुट इस तरफ श्री विलास चंद का मकान, दक्षिण में 25.8 फुट इस तरफ श्री डालचंद का मकान, पूर्व में 32.6 फुट इस तरफ 3 फुट गली, पश्चिम में 31फुट इस तरफ श्रीचंद का मकान, वार्ड न 22 सूरज पॉल गेट, कोली मोहल्ला गोपालगढ़ भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर